



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072022-237766
CG-DL-E-30072022-237766

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3355]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944

No. 3355]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3520(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2152 (अ) दिनांक 09th मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के मांचेरिअल जिले में NH363 New के कि.मी. 0 से कि.मी.44.2 (एनटीआर नागर, मानचेरिअल) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23rd मई 2022" को "हंस इंडिया" और "प्रभात वेलुगु" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के मांचेरिअल जिले में NH363 New के कि.मी. 0 से कि.मी.44.2 ((एनटीआर नागर, मानचेरिअल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना जिले का नाम: मांचेरिअल					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मंचेरिअल				
	गांव का नाम: गर्मीला				
1	181	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.000675	एँम् सत्यनारायण
2	195	निजी	ड्राई	0.080936	भूपति लिंगय्य
3	195	निजी	ड्राई	0.116345	भूपति वेंकती एँस्/ओ मीनय्य
4	217	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.050585	बलिजापेली अमृत डबल्यू/ओ लक्ष्मैया
5	217	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.060702	बोज्जा इल्लम्मा डबल्यू/ओ राजलिंगु
6	217	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.030351	गुदा लक्ष्मी डबल्यू/ओ चन्द्रया
7	217	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.080936	मेडी नारायण एँस्/ओ रामैया
	तालुक का नाम: मंदामारी				
	गांव का नाम: क्याथनपल्ली				
1	108	निजी	ड्राई	0.0050996	कोप्पुला रामम्मा डबल्यू/ओ सतैया
2	34	निजी	ड्राई	0.049209	अकुल रविंदर एँस्/ओ भूमैया
3	34	निजी	ड्राई	0.091053	जगीति भीमैया एँस्/ओ बलैया
4	34	निजी	ड्राई	0.111287	अकुल रविंदर एँस्/ओ भूमैया
	गांव का नाम: तिम्मापुर				
5	271	निजी	ड्राई	0.000237	जरपुल्ला बुज्जी डबल्यू/ओ श्रीनिवास
6	275	निजी	ड्राई	0.004105	दीकोंडा राजलिंगु, गुम्पुला सुरेश
7	304	निजी	ड्राई	0.001965	नल्ला रमेश एँस्/ओ मल्लैया
	तालुक का नाम: नसपुर				
	गांव का नाम: नासपुर				
1	70	निजी(प्राैभट)	ड्राई	0.2432	बारीगम राजाराम एँस्/ओ भीमैया, बोरीगम उमरानी डबल्यू/ओ राजाराम, बोरीगम वेंकटेश्वरुलु एँस्/ओ राजाराम, संकुरी किशोर एँस्/ओ सम्मैया, संकुरी पूजा डबल्यू/ओ किशोर, संकुरी सतीश

					एँसू/ओ सम्मैया, संकुरी श्याम एँसू/ओ सम्मैया
	तालुक का नाम: तांदुर				
	गांव का नाम: कोथापल्ले				
1	174	निजी(पैभट)	ड्राई	0.002	राचरला सुरेश
	गांव का नाम: तांदुर				
2	606	निजी	ड्राई	0.0065208	सत्यनावेनी शंकर एँसू/ओ रघुलैया
3	612	निजी(पैभट)	ड्राई	0.064	हनुमंडला जगदीश्वर एँसू/ओ मल्लैया, कानापथी स्वर्णलता डबल्यू/ओ श्रीनिवासराव
4	701	निजी(पैभट)	ड्राई	0.0001	दगम गंगाराम
			कुल	0.9993064	

[फा. सं. 11060/30/NHAI/PIU-NRML/LA/ MANCHERIA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2022

S.O. 3520(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S. O.2152 (E) dated 09th May 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH363 New on the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.2 (NTR Nagar, Mancherial) in the district of MANCHERIAL in the state of TELANGANA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hans India” and “Prabhatha Velugu” both dated 23rd May 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH363 New in the stretch of land from Km. 0 to Km. 44.2 New (NTR Nagar, Mancherial) in the district of MANCHERIAL in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA District: MANCHERIAL					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: MANCHERIAL				
	Village: Garmilla				
1	181	Private	Dry	0.000675	M Satynarayana
2	195	Private	Dry	0.080936	Bhupathi Lingaiah
3	195	Private	Dry	0.116345	Bhupathi Venkati S/o Meenaiah
4	217	Private	Dry	0.050585	Balijapelli Amrutha W/o Laxmaiah
5	217	Private	Dry	0.060702	Bojja Ellamma W/o Rajalingu
6	217	Private	Dry	0.030351	Guda Laxmi W/o Chadraiah
7	217	Private	Dry	0.080936	Medi Narayana S/o Ramaiah
	Taluk: MANDAMARRI				
	Village: Kyathanapally				
1	108	Private	dry	0.0050996	Koppula Ramamma W/o Sathaiah
2	34	Private	dry	0.049209	Akula Ravindar S/o Bhumaiah
3	34	Private	dry	0.091053	Jagiti Bheemaiah S/o Balaiah
4	34	Private	dry	0.111287	Akula Ravinder S/o Bhumaiah
	Village: Timmapur				
5	271	Private	dry	0.000237	Jarpulla BUjji W/o Srinivas
6	275	Private	dry	0.004105	Deekonda Rajalingu, Gumpula Suresh
7	304	Private	dry	0.001965	Nalla Ramesh S/o Mallaiah
	Taluk: NASPUR				
	Village: Naspur				
1	70	Private	Dry	0.2432	Barigam Rajaram S/o Bheemaiah, Borigam Umarani W/o Rajaram, Borigam Venkateshwarulu S/o Rajaram , Sankuri Kishore S/o Sammaiah, Sankuri Pooja W/o Kishore, Sankuri Satish S/o Sammaiah, Sankuri Shyam S/o Sammaiah
	Taluk: TANDUR				
	Village: Kothapalle				
1	174	Private	dry	0.002	Racharla Suresh
	Village: Tandur				
2	606	Private	dry	0.0065208	Satynaveni Shankar S/o Raghulaiah
3	612	Private	dry	0.064	Hanumandla Jagdeeshwar S/o Mallaiah, Kanaparathi Swarnalatha W/o Srinivasrao

4	701	Private	dry	0.0001	Dagam Gangaram
			TOTAL	0.9993064	

[F. No. 11060/30/NHAI/PIU-NRML/LA/ MANCHERIA/3D]

RAJESH GUPTA, Director